

**झारखण्ड लोक सेवा आयोग**  
**सर्कुलर रोड, राँची – 834001**  
**विज्ञापन**

ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्ति की  
अंतिम तिथि-16.04.2021

विज्ञापन संख्या-04/2021

**झारखण्ड पशुपालन सेवा के पशुचिकित्सक (सीधी भर्ती) नियुक्ति परीक्षा**

झारखण्ड राज्य के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड सरकार के पत्रांक-118 दिनांक-03.02.2021 के द्वारा पशुचिकित्सक (मूलस्तर) के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अध्यायना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित-प्रपत्र में Online आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं जो आयोग के वेबसाईट [www.Jpsc.gov.in](http://www.Jpsc.gov.in) पर उपलब्ध है।

1. (i) पद का नाम- पशुचिकित्सक (Veterinary Doctor)  
(ii) विभाग द्वारा अध्यायित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :-

S.No.	Category	Vertical Reservation No. of vacancies	Horizontal Reservation against total vacancy					स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता (घ) स्वलीनता (Autism), बौद्धिक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी, और, या बहु निःशक्तता (Multiple Disabilities) जो (क) से (घ) के बीच में निःशक्तता के विभिन्न स्थितियों के मिलने से हो, यह स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से हो सकता है।
			Handicapped					
			Women	Sports	अंधापन और कम दृष्टि (क)	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता (ख)	चलन निःशक्तता (ग)	
1	2	3	4	5				6
i	Unreserved	50						
ii	EWS	12						
iii	SC	13						
iv	ST	32	06	02	02	01	01	01
v	BC-I	10						
vi	BC-II	07						
<b>Total</b>		<b>124</b>	<b>06</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01</b>

नोट :- (क) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का संकल्प ज्ञापांक-5555 दिनांक-28.06.2016 के आलोक में आदिम जनजाति के लिए संसूचित रिक्ति अनुसूचित जनजाति के संसूचित रिक्ति में से विनियमित होगा। यह आरक्षण क्षैतिज रूप से उपलब्ध रहेगा।

(ख). रिक्त पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

2. वेतनमान – PB-II- 9,300-34,800 (Grade Pay – 5,400)
3. पद – स्थायी
4. परीक्ष्यमान अवधि – 2 (दो) वर्ष
5. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता :-

1. भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 (1984 का 52) के सूची-I एवं II में उल्लिखित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान से पशुचिकित्सा विज्ञान में स्नातक (बी०भी०एस०सी० एंड ए०एच०) की उपाधि प्राप्त तथा
2. भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् या झारखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् से निबंधित।

**In English**

1. Graduate (B.V.Sc. & A.H.) in Veterinary Science from any recognized University/college/institute described in the list I & II of the Indian Veterinary Council Act 1984 (52 of 1984) and
  2. Registered with Jharkhand Veterinary Council or Indian Veterinary Council
6. उम्र सीमा की संदर्भ तिथि :- 01.08.2017
- (क) न्यूनतम उम्र सीमा – 22 वर्ष
- (ख) अधिकतम उम्र सीमा :- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-609 दिनांक-25.01.2016 एवं संकल्प संख्या-7636 दिनांक-12.10.2018 के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार है :-

Sl No.	Category	Upper Age Limit
1	Unreserved	35 Years
2	Extremely Backward Classes (Annexure-I)/Backward Classes (Annexure-II)	37 Years
3	Female (Unreserved/Extremely Backward Classes (Annexure-I)Backward Classes (Annexure-II)	38 Years
4	Scheduled Tribes/Scheduled Castes (Male and Female)	40 Years
5	Economically Weaker Section	35 Years
6	Persons with Benchmark Disability (PwBD)	A relaxation of 10 years in their respective category.
7	Ex-Servicemen	A relaxation of 5 years in their respective category.

**Note :-** A candidate who has rendered at least 03 (three) years of regular service under the Government of Jharkhand, shall be granted 5 years relaxation in the upper age limit.

7. नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :-

(क) लिखित (विषयनिष्ठ) एवं मौखिक परीक्षाएँ आयोजित की जायेगी।

(ख) लिखित परीक्षा:-लिखित परीक्षा पाँच पत्रों के होंगे, लिखित परीक्षा के प्रश्न विषयनिष्ठ होंगे, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

क्र०	विषय	पूर्णांक	समय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	प्रथम पत्र -हिन्दी	100	3 घंटा	सभी अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य
2	द्वितीय पत्र :- अंग्रेजी	100	3 घंटा	
3	तृतीय पत्र :- (क) पशु औषधि विज्ञान (Veterinary Medicine) (ख) पशु शल्य चिकित्सा विज्ञान (Veterinary Surgery)	200	3 घंटा	
4	चतुर्थ पत्र :- (क) पशु गर्भ विज्ञान (Veterinary Obstetrics and Gynecology) (ख) पशु पोषण विज्ञान (Animal Nutrition)	200	3 घंटा	
5	पंचम पत्र :- (ख) पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन (Livestock Production and Management) (ख) पशु प्रजनन एवं आनुवंशिकी (Animal Breeding and Genetics)	200	3 घंटा	

नोट :- (i) प्रथम पत्र एवं द्वितीय पत्र में न्यूनतम उत्तीर्णांक (प्रत्येक में कुल 30 अंक) लाना अनिवार्य होगा जिसकी गणना कुल प्राप्तांक में नहीं की जाएगी। कुल प्राप्तांक की गणना तृतीय पत्र, चतुर्थ पत्र एवं पंचम पत्र में प्राप्त अंको के आधार पर की जाएगी।

(ii) विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट [www.ipsc.gov.in](http://www.ipsc.gov.in) पर उपलब्ध है।

(ग) साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा:-कुल 100 अंको की साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा आयोजित की जाएगी।

(घ) लिखित परीक्षा एवं मौखिक परीक्षा के प्राप्तांक को जोड़कर मेधा सूची तैयार की जाएगी। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक-13026 दिनांक-27.11.2012 एवं संकल्प ज्ञापांक-3928 दिनांक-11.02.2020 के अनुरूप न्यूनतम अर्हतांक निम्नवत् होगा :-

अनारक्षित	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग-II	36.5 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग-I	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत
आदिम जनजाति	30 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	40 प्रतिशत

8. **आरक्षण का लाभ** :- आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा।

(a) जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् है:-

(i) **अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति** :-

झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1754 दिनांक- 25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-IV में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाइट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर उपलब्ध है।

**नोट:-** सक्षम प्राधिकार यथा अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त द्वारा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्समय प्रभावी प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण-पत्र भी मान्य होंगे।

(ii) **अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II** :-

झारखण्ड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1754 दिनांक-25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-6 के साथ प्रपत्र-11 (क्रीमीलेयर रहित) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाइट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर उपलब्ध है।

**नोट:-** कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के परिपत्र सं0-1754 दिनांक-25.02.2019 की कंडिका-8.2 के प्रावधान के आलोक में क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र की वैधता प्रमाण-पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के उपरान्त क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी अद्यतन स्वघोषणा पत्र (फॉर्म सं0-15) संलग्न करने पर इस प्रमाण-पत्र की वैधता स्वघोषणा पत्र समर्पित करने की वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।

(iii) **आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक वर्ग के लिए:-** कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखण्ड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए देय आरक्षण हेतु निर्गत संकल्प संख्या-1433 दिनांक-15.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(iv) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के ज्ञापांक-235 दिनांक-10.10.2019 के आलोक में अन्य राज्य से झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आव्रजित राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है।

(v) खेलकूद कोटा के अन्तर्गत आरक्षण का दावा कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-1709 दिनांक 12.09.2007 द्वारा श्रेणी-II के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा।

प्रतियोगिता का स्तर	उपलब्धि
(i) अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
(ii) भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप स्तर की प्रतियोगिता	प्रथम स्थान
(iii) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता	विश्व रिकार्ड

(vi) विभिन्न सेवाओं एवं पदों में दिव्यांग कोटे के अन्तर्गत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-2249 दिनांक-03.04.2018 के आलोक में आरक्षण के लिए ऐसे उम्मीदवार पात्र होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हों। आरक्षण के लाभ के लिए उन्हें सक्षम मेडिकल बोर्ड एवं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निःशक्तता प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण की सुविधा अनुमान्य होगी। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर उपलब्ध है।

(vii) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण कोटि से संबंधित किये गये दावे में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

(viii) अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावा के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों को साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी। उक्त तिथि के पश्चात् प्रस्तुत कोई प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(b) जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार के समय अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया के क्रम में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। निर्धारित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर उपलब्ध है।

**9. कदाचार (Misconduct) के निम्न मामलों में अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है:-**

**A candidate who is or has been declared to be guilty of:**

- (i) Obtaining support for his candidature by the following means, namely :-
  - (a) Offering illegal gratification to; or
  - (b) Applying pressure on; or
  - (c) Blackmailing, or threatening to blackmail any person connected with the conduct of the examination; or
- (ii) Impersonation; or
- (iii) Procuring impersonation by any person; or
- (iv) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or
- (v) Uploading irrelevant photos in the application form in place of actual photo/signature; or
- (vi) Making statement which are incorrect or false or suppressing material information; or
- (vii) Resorting to the following means in connection with his candidature for the examination, namely :-
  - (a) Obtaining copy of question paper through improper means; or
  - (b) Finding out the particulars of the persons connected with work relating to the examination; or
  - (c) Influencing the examiners; or
- (viii) Being in possession of or using unfair means during the examination; or
- (ix) Writing obscene matter or drawing obscene sketches or irrelevant matter in the scripts; or
- (x) Misbehaving in the examination hall including tearing of the scripts, provoking fellow examinees to boycott examination, creating a disorderly scene and the like; or
- (xi) Harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination; or
- (xii) Being in possession of or using any mobile phone (even in switched off mode), pager or any electronic equipment or programmable device or storage media like pen drive, smart watches etc. or camera or Bluetooth devices or any other equipment or related accessories either in working or switched off mode capable of being used as a communication device during the examination; or
- (xiii) Violating any of the instructions issued to candidates along with their admission certificates permitting them to take the examination; or
- (xiv) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses;

- (xv) May in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :-
- To be disqualified by the Commission from the Examination for which he is a candidate; and/or
  - To be debarred either permanently or for a specified period :-
    - By the Commission, from any examination or selection held by them;
    - By the Government from any employment under them, and
  - If he is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules :  
 Provided that no penalty, under this rule shall be imposed except after:-
    - Giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in this behalf; and
    - Taking the representation, if any, submitted by the candidate within the period allowed to him into consideration.

10. वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। अभ्यर्थियों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

11. परीक्षा शुल्क :-

- परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर उपलब्ध है।
- अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (EWS) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रू0-600 (छः सौ) + बैंक चार्ज मात्र है।
- परीक्षा शुल्क में छूट- झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति सहित/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0-150/-(एक सौ पचास) + बैंक चार्ज मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क जमा किये जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी एवं बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।
- दिव्यांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।

12. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश

- Online आवेदन के साथ किसी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है।
- Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन भरा जायेगा। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत या अर्धसत्य सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

- (घ) ऑनलाईन आवेदन में अंकित **E-mail Id, Mobile Number** तथा प्राप्त **User Id** एवं **Password** को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत **Mobile Number, E-mail Id** अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का **Mobile Number, E-mail Id** अंकित नहीं करेंगे।
- (ङ) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (च) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान **Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure** के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।
- (छ) अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को **Submit** करने के बाद उसी समय पुनः **Login** कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध **"Download Filled Application Section"** से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिन्ट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित एवं आवेदन में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र/कागजात, परीक्षा शुल्क भुगतान की बैंक रसीद की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- (ज) आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।
- (झ) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है।
- (ञ) Online Application में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली-भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन का अनुरोध आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् स्वीकार्य नहीं होगा।
- (ट) ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व **"How to apply"** (आवेदन कैसे करें) आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के **Help Line No. +919431301636** पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह-10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (ठ) ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के निम्नलिखित **Technical Help Line No.** पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है :-
1. +919431301636 2. +919431301419
- (ड) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए **Payment Helpline No. - 9431301419** पर संपर्क किया जा सकता है।

- (ढ) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी Online Application में प्रविष्ट करेंगे।
- (ण) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- (त) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।
- (थ) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट/अंक-पत्र में अंकित है।
- (द) जन्म तिथि-आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखें।
- (ध) आवेदन भरते समय आवेदक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरणी, उम्र संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, खेलकूद संबंधी प्रमाण पत्र ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में निर्धारित कंडिकाओं में अवश्य प्रविष्टि करेंगे। साक्षात्कार के पूर्व अभिलेख सत्यापन के क्रम में आवेदन में किये गये दावे के अनुरूप सभी वांछित निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति (मूल प्रति सहित) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :-
- (i) मैट्रिक प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति।
  - (ii) इंटरमीडिएट प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति।
  - (iii) पशुचिकित्सा विज्ञान में स्नातक (बी0भी0एस0सी0 एंड ए0एच0) की उपाधि प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति।
  - (iv) भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् या झारखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् से निबंधन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
  - (v) जाति प्रमाण-पत्र/E.W.S. प्रमाण-पत्र की छायाप्रति (जहाँ लागू हो)।
  - (vi) मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति (जहाँ लागू हो)।
  - (vii) अनापत्ति प्रमाण-पत्र (जहाँ लागू हो)।
  - (viii) साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय उपर्युक्त कंडिका-(घ) के अनुरूप यथा वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- (न) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (प) Online Application पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (फ) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है। इस बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।



- (ब) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अंतिम तिथि :-

- (क) आवेदक Online Application System के माध्यम से दिनांक-24.03.2021 से दिनांक- 16.04.2021 अपराह्न 11:45 बजे तक ही Online आवेदन कर सकते हैं।
- (ख) दिनांक-16.04.2021 के बाद दिनांक-17.04.2021 अपराह्न 11:45 बजे तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।

ह0/-  
सचिव,  
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।